



E-mail :- monitoring@sfcjharkhand.in

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
JSFC भवन, कडरू मेन रोड, राँची-834002

पत्रांक:- 16/रा०खा०नि०/अंकेक्षण/32/2026-2566

प्रेषक,

रंजीता टोप्पो, शा०प्र०से०
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

M/s Swisstech Infra and Consulting Private Limited,
Indra Nagar, Kanke Road, Ranchi.

विषय:- झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची का वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2025-26 के लिए Preparation of Books & Accounts and Financial Statements for 24 JSFC District, HEAD Quarter and Consolidated Report तैयार करने हेतु CA Firm का चयन के लिए निविदा (Corrigendum II) का प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची का वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2025-26 के लिए Preparation of Books & Accounts and Financial Statements for 24 JSFC District, HEAD Quarter and Consolidated Report तैयार करने हेतु CA Firm का चयन के लिए निविदा (Corrigendum II) का प्रकाशन दिनांक 23.08.2025 के (प्रभात खबर, हिन्दुस्तान एवं The Times of India) समाचार पत्रों में कराया जाना जाना है। (Corrigendum II) प्रति संलग्न।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 23.08.2025 के (प्रभात खबर, हिन्दुस्तान एवं The Times of India) समाचार पत्रों में Corrigendum II का प्रकाशन DAVP (Minimum Size) दर पर करायी जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक:- यथोक्त।

प्रबंध निदेशक,

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं
असैनिक आपूर्ति निगम लि०, राँची।

ज्ञापक:- 16/रा०खा०नि०/अंकेक्षण/32/2026 - 2566

राँची, दिनांक- 22/08/2026

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न Corrigendum II एवं RFP को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रबंध निदेशक,

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं
असैनिक आपूर्ति निगम लि०, राँची।



झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
JSFC भवन, कडरु मेन रोड, रांची-834002।

CORRIGENDUM II

(for NIT No. 2393, Dt.06.08.2026)

<u>As per RFP</u>	<u>Now it is corrected and shall be read as</u>
➤ In RFP page no. 08 1.1.9. The firm must have a valid Provident Fund Registration since two years from the date of RFP.	➤ In RFP page no. 08 1.1.9. The Provident Fund Registration for firm is not mandatory.